न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-440Jodhpur2022-278 Rajuram ors Vs Manakram etc

1. राजुराम पुत्र श्री शिवलाल
2. श्रवणराम पुत्र श्री शेराराम
3. शिवलाल पुत्र श्री भगवानाराम
4. नमनाराम पुत्र श्री भगवानाराम
   समस्त जातियान् माली, निवासीगण- बिंजवाड़िया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. माणकराम पुत्र श्री हीराराम
2. सुखाराम पुत्र श्री मदनलाल
   समस्त जातियान् माली, निवासीगण- बिंजवाड़िया, तहसील- तिंवरी, जिला जोधपुर।
3. श्रीमान् तहसीलदार, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 28 फरवरी 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां राजस्व विविध पार्थनापत्र संख्या 48/2022 माणकराम व अन्य बनाम श्रवणराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री अजीत दैया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशन लाल, श्री निजाम शाह अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 16 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 48/2022 माणकराम व अन्य बनाम श्रवणराम

राजस्व अपील प्राधिकारी

इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि <u>प्रार्थीगण/रेस्पो.</u> संख्या एक व दो ने एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 139/1 ग्राम बिंजवाड़िया के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 फरवरी 2022 के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 28.02.2022 को पारित करने में घोर कानूनी एवं वाक्याती भूल कारित की गई है। अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा वक्त सेटलमेंट से उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है, जहां उनकी रहवासी ढाणियां व अन्य पक्का निर्माण किया हुआ है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक रिकॉर्डेड सहखातेदार व काबिज काश्त काश्तकार के विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का आज दिनांक तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के रिकॉर्डेड सह-खातेदार काश्तकार है, जिस कारण एक रिकॉर्डेड सह

राजस्व अपील प्राधिकारी

खातेदार काश्तकार के विरुद्ध पारित किया गया अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश सरासर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से भी काबिले निरस्त है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स की खरीद सुदा भूमि है। वक्त खरीद वादग्रस्त भूमि का उतरी भाग अपीलांट्स का तथा दक्षिणी भाग रेस्पोडेंट्स के हिस्से में रखा गया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के उत्तर एवं दक्षिण भाग को लेकर विवाद है। इस संबंध में रेस्पोडेंट्स द्वारा सन् 2017 में विभाजन हेतु बंटवाड़ा का दावा भी प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 18.04.2022 को अदम हाजरी में खारिज हो गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि का विधिनुसार बंटवाड़ा नहीं हुआ है। कानूनन अविभाजित भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण दर्शाये तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये, अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने के कारण भी उक्त आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट्स के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना बाले-बाले पारित किया गया है, जिससे अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नही हो सकी। प्रार्थीगण द्वारा अपने हक-हिस्से एवं अधिकार में आई हुई भूमि पर निर्माण कार्य आरम्भ किया गया तब अप्रार्थीगण संख्या एक व दो ने मौके पर आकर प्रार्थीगण को गाली-गलौच की तथा उक्त निर्माण कार्य को बंद करने की धमकी दी तथा अप्रार्थीगण को कहा कि हमने न्यायालय से इस भूमि के संबंध में स्थगन आदेश जारी करवा रखा है, जिस पर प्रार्थीगण ने अधिवक्ता से संपर्क कर उक्त आदेश की नकले प्राप्त की, जिसको पढने पर प्रथम बार प्रार्थीगण को उक्त आलौच्य आदेश के बारे प्रथम जानकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुई जो जानकारी से यह अपील अंदर म्याद पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर या लाभ प्राप्त करने के उद्धेश्य से कोई देरी नहीं की गई है। अंत में अंपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 फरवरी 2022 को निरस्त किया जावे एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 कर खारिज फरमाया जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि रेस्पो. स्वतंत्र खसरा नं. 139/1 के रेकर्डेड खातेदार है। अपीलांट्स द्वारा अपने अन्य खातेदारी खसरा नं. 138 के स्थान पर रेस्पोडेंट्स के उक्त खातेदारी खसरा में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अपीलांट्स का उज्र है कि तरमीम गलत है तो वे विधिनुसार तरमीम शुद्धि हेतु कार्यवाही कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स को सुनकर केवल उनके खसरा नं. 139/1 के संबंध में ही स्थगन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट दोनो पृथक-पृथक स्वतंत्र खसरा नं. 139 एवं 139/1 के रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स को रेस्पोडेंट्स के खातेदारी खसरा नं. 139/1 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी

1.9101 हैक्टेयर में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने तथा वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया है, न कि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 139 के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि वादग्रस्त भूमि की तरमीम मौके अनुसार नहीं है। अपीलांट्स विधिक प्रावधानों के तहत तरमीम शुद्धि करवाने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश केवल रेस्पोडेंट्स के खातेदारी खसरा नं. 139/1 के संबंध में होने से विधिसम्मत पाया जाता है। लिहाजा उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 48/2022 माणकराम व अन्य बनाम श्रवणराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 फरवरी 2022 को यथावत रखा जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 2 माह की अवधि में गुणावगुण पर निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12 जनवरी 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर